::कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव (छ०ग०)::

//आदेश//

क्रमांक 96 / II–12–10/2014 कोण्डागांव, दिनांक - 04 .12.2023

सिविल जिला स्थापना कोण्डागांव में चयन समिति, जिला न्यायालय कोण्डागांव छ०ग० के द्वारा स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के पद हेतु प्रेषित चयन सूची के अनुसार नीचे लिखे चयनित अभ्यर्थियों को स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के पद पर छ०ग० वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के लेवल–7 वेतनमान 28700– 91300 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:–

क्रमांक	अभ्यर्थियों का नाम व पता
01	श्रीमती दीपिका बघेल पति श्री विजय कुमार, निवासी - अमलीडीह पुलिस कॉलोनी, पेट्रोल पम्प के पास, ब्लॉक नम्बर 18-B रूम नम्बर 601 रायपुर छ०ग० पिन 492006
02	श्रीमती संगीता नेताम पति श्री रामदेव नेताम, निवासी -ग्राम +पोस्ट भण्डारवंडी नयापारा , तहसील फरसगांव जिला कोण्डागांव पिन -494228
03	कु० प्रमिला श्रीमाली पिता श्री धनूरराम श्रीमाली, निवासी-ग्राम माकड़ी नया पारा, पोस्ट माकड़ी, जिला -कोण्डागांव पिन-494226
04	कु० दिव्या दर्रो पिता श्री शत्रुघन दर्रो, निवासी ग्राम पण्डरीपानी पोस्ट जुनवानी , तहसील चारामा जिला कांकेर (छ०ग०) पिन 494337

शर्तें :-

01. विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखेंगे।

02. आपको नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा। अन्यथा यह नियुक्त आदेश आपके संबंध में स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

03. आपको अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो आपके जिले के हो अथवा जिला कोण्डागांव के हो से प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

04. आपकी नियुक्त पूर्णतः अस्थायी तौर पर 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिए होगी। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के पश्चात यदि स्थायी पद उपलब्ध होगा तो स्थायी किया जावेगा। अन्यथा आपकी सेवाएं अस्थायी तौर पर निरन्तर आगामी आदेश तक जारी रहेगा। परीवीक्षा में आपकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

05. आपको कार्यभार ग्रहण करते समय अपने सम्पूर्ण दस्तावेज जो आपने अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया है, की मूल प्रति एवं उनकी एक-एक छायाप्रति स्व-प्रमाणित कर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना होगा। यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज पूर्व में प्रस्तुत दस्तावेज से भिन्न अथवा असत्य पाई जाती है तो यह नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त माना जावेगा

06. यदि आपको पुलिस द्वारा चारित्रिक सत्यापन में किसी अपराध में संलिप्त रहना पाया गया तो यह नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त माना जावेगा।

07. आपके द्वारा इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात आगे की शिक्षा बिना पूर्व अनुमति के ग्रहण नहीं किया जावेगा। यदि आपको कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात बिना पूर्व अनुमति के शिक्षा ग्रहण करने का दोषी पाया जावेगा तो आपकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

08. आपके द्वारा इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात बिना अनुमति के किसी अन्य शासकीय अथवा अर्दशासकीय एवं अन्य कोई संस्था में सीधे नौकरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जावेगा। यदि आपके द्वारा बिना पूर्व अनुमति के ऐसा कृत्य किया जाता है तो तत्काल प्रभाव से आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।

09. यदि कार्यभार ग्रहण के उपरांत किसी कारण से आप शासकीय सेवा से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो एक माह पूर्व लिखित में सूचना कार्यालय को देनी होगी। अथवा एक माह की कालावधि की सूचना के बदले एक माह का वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि चालान के माध्यम से जमा करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जावेगी।

10. आपके कार्य व्यवहार एवं आचरण के बारे में संबंधित पीठासीन न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी से शिकायत प्राप्त होने की दशा में आपकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

11. आप की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। आपका जाति प्रमाण पत्र समुचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है एवं सत्यापन कराये जाने पर यदि आपका दावा झूठा प्रमाणित होता है तो आपकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जावेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आपके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जावेगी।

12. आपकी पदस्थापना जिला न्यायालय कोण्डगांव के अंतर्गत किसी भी न्यायालय/अनुभाग में की जा सकती है।

04.12.2023

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव (छ०ग०)

पृ.क्रमांक 1853 / II–12–10/2014 कोण्डागांव, दिनांक – 04.12.2023

प्रतिलिपि:-

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, बस्तर संभाग, जगलदपुर (छ०ग०)।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोण्डागांव (छ०ग०)।
04. पुलिस अधीक्षक, जिला कोण्डागांव (छ०ग०)।
05. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय कोण्डागांव (छ०ग०)।
06. लेखापाल, कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला–कोण्डागांव (छ०ग०)।
07. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कु० ------------------ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

04.12.2023

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव (छ०ग०)